



2026:AHC:35736-DB

ए.एफ.आर.

निर्णय सुरक्षित : 12 जनवरी, 2026

निर्णय प्रदत्त : 18 फरवरी, 2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या-1188 वर्ष 1989

खुन्नी लाल

...अपीलकर्ता

बनाम

राज्य

...प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता :

श्री अमर सारण, श्री सिकन्दर बी. कोचर

प्रतिवादी के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या – 42

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-। द्वारा प्रदत्त)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



1. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री सिकंदर बी कोचर, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री अमित सिन्हा को सुना और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।
2. यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता खुन्नी लाल ने कन्नौज, फर्रुखाबाद के विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 17.05.1989 को दिए गए फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की है। यह फैसला सत्र परीक्षण संख्या 219/1987 में आया था, जो सत्र परीक्षण संख्या 56/1987 (भारतीय दंड संहिता की धारा 302; थाना - थठिया, सब-डिस्ट्रिक्ट - कन्नौज, डिस्ट्रिक्ट - फर्रुखाबाद) से जुड़ा था। इस मामले में अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
2. यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता खुन्नी लाल ने कन्नौज, फर्रुखाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 17.05.1989 को दिए गए फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की है, यह फैसला सत्र परीक्षण संख्या 219/1987 में आया था, जो मुकदमा अपराध संख्या 56/1987, भारतीय दंड संहिता की धारा 302; थाना - थठिया, उप-जिला - कन्नौज, जिला - फर्रुखाबाद से जुड़ा था, इस मामले में अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, संक्षेप में, आरोपी व्यक्ति, खुन्नी लाल, भगवान दीन और जगदीश शिकायतकर्ता राम सिंह के परिवार से संबंधित हैं और वे शिकायतकर्ता के घर और जमीन के आधे हिस्से के सह-हिस्सेदार हैं। आरोपी खुन्नी लाल लेखपाल है और भगवान दीन जिला कानपुर में नहर विभाग में इंस्पेक्टर है। आरोपियों ने शिकायतकर्ता की जमीन पर कब्जा कर अपना घर बनवाया। 09.05.1987 को शाम करीब 6 बजे जब आरोपी व्यक्ति शिकायतकर्ता के पूर्वी चबूतरे (चबूतरा) को काट रहे थे, तो उसके पिता ने आपत्ति जताई, तब आरोपी व्यक्तियों ने गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। वहीं, शिकायतकर्ता का छोटा भाई मौजी लाल भी वहां पहुंच गया। उसने भी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आपत्ति जताई और अपने पिता को अपने दरवाजे पर ले आया और ग्रामीणों ने उन्हें शांत किया। एक घंटे बाद शाम करीब 7 बजे आरोपी खुन्नी लाल बड़े चाकू से लैस होकर वहां पहुंचे, भगवान दीन पिस्टल से लैस और जगदीश भाले से लैस होकर वहां पहुंचे। उस समय सूचक का भाई मौजी लाल शेड के बाहर धूम्रपान कर रहा था। शिकायतकर्ता ने दौड़कर जगदीश का भाला पकड़ लिया। उसी समय भगवान दीन और जगदीश ने मौजी लाल के दोनों हाथों को पकड़ लिया और खुन्नी लाल ने मौजी लाल की गर्दन के बाईं ओर चाकू से वार कर दिया। मौजी लाल की मौत पर ही मौत हो गई। शिकायतकर्ता, उसका भाई बेचेलाल, उसके पिता केशरी लाल, मौजी लाल की पत्नी छम्मी लाल और अन्य ग्रामीण उक्त घटना के गवाह बने। आरोपी चाकू और पिस्टल लेकर गोली चलाकर फरार हो गए। अगले दिन उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई।

4. पुलिस ने मृतक के शव का पंचायतनामा किया और घटना स्थल से एक टूटी हुई कुदाल और खून से लथपथ मिट्टी जब्त की। जांच के बाद, उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।

5. आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् खुन्नी लाल, भगवान दीन और जगदीश पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-1 राम सिंह, पीडब्लू-2 छम्मी लाल, पीडब्ल्यू-3 भगवती, पीडब्लू-4 हेड कांस्टेबल दिनेश पाल सिंह, पीडब्ल्यू-5 डॉ. वीके भाटिया, पीडब्ल्यू-6 राजेंद्र सिंह सोलंकी (एसआई, जांच अधिकारी) की जांच की।

7. आरोपी व्यक्तियों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए थे, जिसमें उन्होंने अपनी बेगुनाही का दावा किया था और कहा था कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आरोपियों ने बचाव पक्ष में दो गवाह पेश किए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. दस्तावेजी साक्ष्य में, लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श- का.1), प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श- का.2), चिक कॉपी (प्रदर्श- का.3), पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्रदर्श- का.4), साइट योजना (प्रदर्श- का.5), साइट योजना (प्रदर्श-का.6), पंचायतनामा (प्रदर्श-का.7), अराक्षी रसीद (प्रदर्श-का.8) फोटो नैश (प्रदर्श-का.9), पुलिस स्टेशन रिपोर्ट (प्रदर्श-का.10), पुलिस स्टेशन रिपोर्ट (प्रदर्श-का.11), सीएमओ को पत्र (प्रदर्श-का.12), सादे मिट्टी का रिकवरी मेमो (प्रदर्श-का.13), खून से सना मिट्टी का रिकवरी मेमो (प्रदर्श-का.14), खून से सना 'तहमद' (प्रदर्श-का.15), भाला आदि का रिकवरी मेमो (प्रदर्श-का.16), आरोप-पत्र 'मूल' (प्रदर्श-का.17) दायर किया गया।

9. पुलिस अधीक्षक (प्रदर्श- खा.1), एस.एस.पी. को टेलीग्राम (तार) (प्रदर्श-खा.2), टेलीग्राम (तार) की प्रति (प्रदर्श-खा.3) और डीडब्ल्यू-1 द्वारा निर्मित और साबित टेलीग्राम (तार) (प्रदर्श-खा.4) की प्रति को आवेदन।

10. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सबूतों पर विचार करने के बाद सह-अभियुक्तों, अर्थात् भगवान दीन और जगदीश को बरी कर दिया और अपीलकर्ता-खुन्नी लाल को दोषी ठहराया और पूर्वोक्त के रूप में सजा सुनाई।

11. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में तारीख में हेरफेर किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि आंकड़ा '10' को '11' के रूप में हेरफेर किया गया है जो संदेह पैदा करने के लिए जाता है। घटना के कथित चश्मदीद गवाह बेचेलाल और केसरी लाल से अभियोजन पक्ष ने पूछताछ नहीं की है। एक और गवाह जलील से भी पूछताछ नहीं की गई। पीडब्लू-1, राम सिंह की गवाही प्रथम सूचना रिपोर्ट के विपरीत है, जो केवल उनके द्वारा दर्ज की गई थी। पीडब्लू-1 ने विशेष रूप से इस बात से इनकार किया है कि उसने अपीलकर्ता को मौजी लाल पर चाकू से हमला करते हुए नहीं देखा क्योंकि रात में अंधेरा था। उन्होंने यह भी कहा है कि घटना के बाद छम्मी लाल और अन्य लोग वहां आए थे, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि खुन्नी लाल ने उनके भाई पर गर्दन के बाईं ओर चाकू से हमला किया था। घटना के समय भगवान दीन के पास देसी पिस्तौल थी और जगदीश के हाथ में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



भाला था। वह कहता है कि उसने तेजी से उस भाले को पकड़ लिया जो जगदीश के हाथ में था और इस तरह की हरकत में भाला टूट गया। इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह संस्करण विद्वान विचारण न्यायालय में दर्ज पीडब्लू-1 की गवाही के बिल्कुल विपरीत है। पीडब्लू-3 भगवती देवी, जो मृतक मौजी लाल की पत्नी है, ने भी गवाही दी जैसे कि वह घटना की चश्मदीद गवाह हो, लेकिन साक्ष्य के दौरान, उसने स्वीकार किया है कि जब उसके पति ने शोर मचाया, तो वह फूस की झोपड़ी से बाहर नहीं आ सकी। विद्वान विचारण न्यायालय ने दो आरोपी व्यक्तियों को बरी करने और अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किए गए सबूतों के एक ही सेट पर दोषी ठहराने में घोर गलती की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रक्षेप से यह भी पता चलता है कि कुछ दुश्मनी के कारण बाद में विचार के परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि रात 9:30 बजे कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अस्तित्व में नहीं थी। अगली सुबह थाने में लिखित रिपोर्ट, पूछताछ आदि तैयार की गई। जांच 10-05-1987 को की जानी है। यह कथित घटना के संबंध में संस्करण पर भी संदेह पैदा करता है। इसलिए अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

12. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान एजीए ने अपीलकर्ता के विद्वान वकील के तर्क का पुरजोर विरोध किया और कहा कि अपीलकर्ता अपने भाई भगवान दीन और भतीजे जगदीश के साथ चबूतरा के निर्माण के संबंध में मुखबिर और उसके परिवार के सदस्यों के साथ विवाद कर रहा था। 09.05.1987 को, लगभग 6:00 बजे, मुखबिर के पिता ने अपीलकर्ता को चबूतरा बनाने से विरोध किया, फिर अपीलकर्ता ने गाली देना शुरू कर दिया। उसी समय, मुखबिर-मौजी लाल (मृतक) का भाई वहां पहुंचा और अपीलकर्ता का विरोध किया और वे अपने पिता को मौजी लाल के घर ले आए। शाम लगभग 7 बजे एक घंटे के बाद, अपीलकर्ता-खुन्नी लाल चाकू से लैस होकर, भगवान दीन एक देशी पिस्तौल के साथ और जगदीश भाले के साथ वहां आए और मौजी लाल पर हमला किया। भगवान दीन और जगदीश ने मौजी लाल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



और खुन्नी लाल को पकड़ लिया, गर्दन पर चाकू से हमला किया। मऊजी लाल को गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के चश्मदीद गवाहों ने स्पष्ट रूप से घटना की पुष्टि की है। मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि उसकी गर्दन के बाईं ओर चोट लगी थी और छाती और दाहिने कंधे पर चोट लगी थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सबूतों का मूल्यांकन करते हुए अभियुक्त-खुन्नी लाल को दोषी पाया और उसे दोषी ठहराया। दूसरी ओर, यह पाया गया कि सह-आरोपी भगवान दीन और जगदीश निर्दोष थे, इसलिए उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपील खारिज की जानी चाहिए।

13. प्रतिद्वंद्वी की दलीलों को सुनने और अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों को देखने के बाद, हम पाते हैं कि पीडब्लू -1, राम सिंह मामले का मुखबिर है जिसने ऊपर बताए गए अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार खुन्नी लाल, भगवान दीन और जगदीश के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। पीडब्लू-1, राम सिंह ने विचारण न्यायालय के समक्ष दर्ज अपनी गवाही में विशेष रूप से कहा कि शाम को लगभग 6:00 बजे वह अपने घर में मौजूद थे, सभी तीन आरोपी व्यक्ति उनके चबूतरे को काटकर अपना घर बना रहे थे। इस पर उनके पिता केशरी ने आपत्ति जताई। आरोपियों ने उसे गाली देना शुरू कर दिया। जब पीडब्लू-1 वहां पहुंचा तो मौजी लाल और बेचे लाल भी आए। इन सभी ने आरोपियों को अपने पिता केशरी लाल को गाली देने से रोकने की कोशिश की। वे सभी अपने पिता को मौजी लाल के घर ले गए। राम सिंह अपने पिता और दो सगे भाइयों, मौजी लाल और बेचे लाल के साथ मौजी लाल के घर पर बैठे थे, जहां लगभग 7 बजे, जगदीश, भाले से लैस होकर, खुन्नी लाल चाकू से लैस और भगवान दीन एक देशी पिस्तौल के साथ वहां पहुंचे। आरोपी व्यक्तियों ने मौजी लाल पर हमला करने की कोशिश की जब पीडब्लू-1 ने जगदीश के हाथ में भाला पकड़ लिया जो टूट गया। इसके तुरंत बाद भगवान दीन और जगदीश ने मौजी लाल को पकड़ लिया और खुन्नी लाल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ने मौजी लाल की गर्दन के बाईं ओर हमला कर दिया। मौजी लाल नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। उन्होंने यह भी विशेष रूप से कहा है कि उन्होंने केशरी के साथ बेचे लाल, गंगा राम और जलील के साथ मिलकर पूरी घटना देखी। इस गवाह ने खुन्नी लाल को हमले की विशिष्ट भूमिका दी है, जिसे भगवान दीन को अपने मुख्य परीक्षा में फायरिंग की भूमिका सौंपी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने लिखित रिपोर्ट पुट्टी लाल को लिखवाया और लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श- का-1) को साबित कर दी है। पकड़ने की भूमिका अन्य सह-आरोपी जगदीश को सौंपी गई है।

14. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक पुट्टी लाल की अभियोजन पक्ष द्वारा जांच नहीं की गई है या फिर उन्होंने गवाही दी थी कि राम सिंह ने जो कुछ भी कहा था, उसे लिखित रूप में कम कर दिया था और फिर उन्हें पढ़ा गया था।

15. इसके बाद पीडब्लू-1 राम सिंह, उनके पिता केशरी लाल, बेचे लाल, गंगा राम और जलील भी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दर्ज की गई शपथ पर गवाही के अनुसार घटना के गवाह बने, लेकिन बेचे लाल, गंगा राम, जलील और केशरी से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई और उनकी जांच न करने का कारण नहीं बताया गया।

16. दूसरी ओर, अपनी जिरह में पीडब्लू-1 राम सिंह ने पृष्ठ संख्या 3 पर बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वह चाकू से हमला नहीं देख सकता था क्योंकि रात का अंधेरा था। एक जगह पर अपने बयान में वह स्पष्ट रूप से कहता है कि उसने घटना देखी और अपनी जिरह में उसने इस बात से इनकार किया कि क्योंकि रात का अंधेरा था इसलिए वह चाकू से हमला नहीं देख सका।

17. घटना के चश्मदीद गवाहों के रूप में नामित प्रमुख गवाह, अर्थात् बेचे लाल, गंगा राम, जलील और केशरी से पूछताछ नहीं की गई है। उनकी गैर-परीक्षा का कारण अभियोजन पक्ष को सबसे अच्छी तरह से पता है। घटना से संबंधित एक और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिरह के पृष्ठ संख्या 4 पर, पीडब्लू-1 ने कहा है कि वह घटना

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



स्थल पर खुन्नी लाल को नहीं देख सका क्योंकि रात में अंधेरा था। गवाह के ये दो संस्करण पूरी तरह से विपरीत हैं। यह भी कहा गया है कि वह बेचे लाल के साथ थाने गया था। बताया जा रहा है कि बेचे लाल घटनास्थल से थाने तक उनके साथ जाते हैं, लेकिन उनसे पूछताछ नहीं की गई है। जिरह के पृष्ठ संख्या 5 पर गवाह पीडब्लू 1 द्वारा इस तथ्य को दोहराया गया है कि उसने खुन्नी लाल को चाकू से हमला करते हुए या भगवान दीन और जगदीश को मौजी लाल को पकड़ते हुए नहीं देखा। इसके बाद वह यह भी कहता है कि पहले उसका आरोपियों के साथ झगड़ा हुआ था और इसलिए, उसने राय दी कि यह घटना उनके कारण हुई हो सकती है। एक गवाह की राय का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि यह विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

18. एक अन्य चश्मदीद गवाह जिसे फिर से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ की गई थी, वह पीडब्लू -2 छम्मी लाल और पीडब्ल्यू -3 भगवती देवी है। शिकायतकर्ता पीडब्लू-1 राम सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार छम्मी लाल घटना का चश्मदीद गवाह है। पीडब्लू-2 ने भी वही कहानी बताई है जो मामले के शिकायतकर्ता पीडब्लू-1 ने कही है। पीडब्लू-1 ने यह भी कहा है कि छम्मी लाल अपने गांव का निवासी है। पीडब्लू-2 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उसने भैंस खरीदने के लिए आरोपी खुन्नी लाल से 1000 रुपये उधार लिए थे और उसने इस तथ्य से इनकार किया है कि ऋण पर देय ब्याज के कारण खुन्नी लाल के साथ उसकी हाथापाई हुई थी। मुखबिर ने हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीडब्लू -2, छम्मी लाल को गवाह के रूप में नामित किया है, लेकिन पृष्ठ संख्या 3 पर अपनी गवाही में उसने कहा है कि घटना के समय केवल परिवार के सदस्य ही मौजूद थे। वहां रहने वाले ग्रामीण में से कोई भी वहां नहीं था, जबकि छम्मी लाल ने अपने बयान में घटना को इस तरह समझाने की कोशिश की है जैसे कि यह सब उनकी उपस्थिति और नजरअंदाज में हुआ हो। इसलिए यहां भी एक बड़ा संदेह सामने आता है जो अभियोजन पक्ष के मामले को छाया देता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



19. पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 दोनों ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया है कि घटना स्थल पर भगवती देवी भी मौजूद थीं। वह मौजी लाल की पत्नी बताई जा रही है। भगवती देवी की जांच पीडब्लू-3 के रूप में की गई है। अपनी जिरह में, उसने कहा है कि वह एक फूस की झोपड़ी में बैठी थी और अपने घर की सफाई कर रही थी। वह घर के अंदर थी जब उसके पति ने शोर मचाया तब भी वह अपने घर से बाहर नहीं आई। उसने यह भी कहा कि जब वह झोपड़ी से बाहर आई तो उसने घटना के बाद आरोपी व्यक्तियों को वहां से भागते देखा। ये दोनों संस्करण भी एक दूसरे के विपरीत हैं। एक समय वह कह रही थी कि वह मृतक-मौजी लाल, उसके पति और उसके ससुर केशरी के अलार्म बजने के बाद भी झोपड़ी से बाहर नहीं आई। उसने हमलावरों को भागते हुए कैसे देखा, कितनी दूरी से देखा क्योंकि यह बहुत स्पष्ट है कि जब हमलावर भाग गए तो उसने उन्हें पीछे से भागते हुए देखा होगा।

20. यह भी ध्यान रखना उल्लेखनीय है कि प्रदर्श का-1 (रिपोर्ट), पंचायतनामा और कुछ अन्य अभियोजन पत्र के अंगूठे के निशान एक ही स्याही में लिखे गए प्रतीत होते हैं। यहां तक कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जांच किए गए बचाव पक्ष के गवाह संख्या 2 (लेखन विशेषज्ञ) ने भी गवाही दी है कि रिपोर्ट, जांच और अन्य पुलिस कागजात पर अंगूठे का निशान एक ही स्याही में है। यह एक ऐसी स्थिति का भी संकेत दे सकता है जहां ये सभी कागजात एक ही समय में तैयार किए गए थे। कहा जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 09.05.1987 को रात 9:30 बजे दर्ज की गई थी, जबकि पूछताछ में दिनांक 10.05.1987 को सुबह 5:30 बजे दर्ज किया गया था। भगवती देवी ने भी अपनी गवाही में स्वीकार किया है कि पुलिस सुबह 5:30 बजे वहां आई थी। यह जांच 10.05.1987 को सुबह 5:30 बजे क्यों की गई, यह भी अस्पष्ट है और यह संभावना है कि इसमें दिखाए गए समय यानी रात 9:30 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट अस्तित्व में नहीं थी। जब गवाह अभियोजन पक्ष के संस्करण के विपरीत गवाही देते हैं और जब उसे कोई पुष्टि नहीं मिलती है, तो यह अभियोजन पक्ष के संस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को संदिग्ध बना देता है। इसके अलावा, पीडब्लू-1 मुखबिर के अनुसार, पहले आरोपी व्यक्तियों के साथ हाथापाई हुई थी और इसलिए, उन्होंने कहा कि यह घटना उनके कारण हुई हो सकती है, यह दर्शाता है कि संदेह के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। संदेह सबूत की जगह बिल्कुल नहीं ले सकता, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो।

21. इस मामले में, डॉ. वीके भाटिया-पीडब्लू-5 ने 11.05.1987 को दोपहर 3:30 बजे मृतक के शरीर का पोस्टमॉर्टम किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:

(i) गर्दन और पीठ के पार्श्व भाग पर 7 सेमी x 1.5 सेमी आकार का कटा हुआ घाव।

(ii) छाती के दाहिनी ओर 9 सेमी x 4 सेमी नीचे की ओर संलयन।

(iii) दाहिने कंधे से 4 cm x 2 cm ऊपर की ओर संलयन।

22. अपनी जिरह में, पीडब्लू-5 ने कहा है कि मृतक के शरीर के कुछ हिस्सों में सूखी मिट्टी पाई गई थी। उन्होंने यह भी राय दी है कि चोट संख्या 2 और 3 किसी कठोर और कुंद वस्तु के कारण हो सकती है और मृत्यु भी 09.05.1987 की मध्यरात्रि को कहीं हो सकती है।

23. यह सच है कि मृतक के शरीर पर चोटें पाई गई थीं, लेकिन यह दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष का यह साबित करने का कानूनी दायित्व है कि मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें आरोपी व्यक्तियों द्वारा दी गई थीं और इसे अभियोजन पक्ष द्वारा सभी उचित संदेहों से परे साबित किया जाना है, जिसमें अभियोजन सफल नहीं हुआ है।

24. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस मामले में तीन आरोपी व्यक्ति थे, जिनके नाम हैं, खुन्नी लाल, भगवान दीन और जगदीश। अभियोजन पक्ष के गवाहों के नेतृत्व में साक्ष्य उनमें से प्रत्येक की विशिष्ट भूमिका को परिभाषित करते हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तीनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत एक साथ मुकदमा चलाया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य, (2023) 9 एससीसी 164* और *राम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2024) 4 एससीसी 208* में यह सिद्धांत निर्धारित किया है कि जब एक ही या समान भूमिका लिखकर दो अभियुक्तों के खिलाफ चश्मदीद गवाहों के समान या समान सबूत होते हैं, तो न्यायालय एक आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकता है और दूसरे को बरी नहीं कर सकता है। यह भी माना गया कि ऐसे मामले में दोनों अभियुक्त समानता के सिद्धांतों द्वारा शासित होंगे, जिसका अर्थ है कि आपराधिक न्यायालय को मामलों की तरह समान रूप से फैसला करना चाहिए। इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ दिया।

25. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष इस मामले में तीन आरोपी हैं, एक को दोषी ठहराया जाता है और दो अन्य को एक ही सबूतों के आधार पर बरी कर दिया जाता है।

26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.1989 को दर्ज किया गया निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश दुर्बलता से ग्रस्त है और इसे रद्द किया जा सकता है।

27. इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाले विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश को ऊपर उल्लिखित कारणों से रद्द कर दिया जाता है।

28. तदनुसार, तत्काल अपील की अनुमति दी जाती है।

29. अपीलकर्ता को मुक्त कर दिया जाएगा, यदि किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है।

30. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण न्यायालय के अभिलेख को जितनी जल्दी हो सके वापस करे और इस फैसले को विचारण न्यायालय को भी सूचित करे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I)

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा)

दिनांक : 18 फ़रवरी, 2026

कशीफ़ा

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”